

प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष - 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 347 सन 2022

अनवान :-

1. अनिल कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चुनीराम पुत्र लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र चुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. गोर्धन पुत्र कृष्णलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. राजबाला पुत्री कृष्णलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. शारदा पुत्री चुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. प्रमेश्वरी पुत्री चुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री चुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 23/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 730/709 की कुल 9.2977हैक में से 4/15 हिस्सा , व खाता संख्या 167/172 की कुल 2.7324हैक एवं खाता संख्या 726/713 की कुल 3.9215हैक में से 1/3 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लादुराम वल्द जैसाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लादुराम वल्द जैसाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई तथा वादी के दादा लादुराम वल्द जैसाराम ने अपने जीवनकाल में सयुक्त परिवार की आय से भी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाई गई थी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लादुराम वल्द जैसाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा है काफी वृद्ध हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वदी का पिता है भी काफी वृद्ध हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो वादी के दादा/पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 बहिव के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता लादुराम वल्द जैसाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात वादी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासन गांव के (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में प्रस्तुत हुई।


वकील वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 730/709 की कुल 9.2977हैक में से 4/15 हिस्सा, व खाता संख्या 167/172 की कुल 2.7324हैक एवं खाता संख्या 726/713 की कुल 3.9215हैक में से 1/3 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा लादुराम वल्द जैसाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा लादुराम वल्द जैसाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई तथा वादी के दादा लादुराम वल्द जैसाराम ने अपने जीवनकाल में सयुक्त परिवार की आय से भी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवाई गई थी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा लादुराम वल्द जैसाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का दादा है काफी वृद्ध हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है भी काफी वृद्ध हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 वादी की बहने/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद/कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरगावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 730/709 की कुल 9.2977हैक् में से 4/15 हिस्सा , व खाता संख्या 167/172 की कुल 2.7324हैक् एवं खाता संख्या 726/713 की कुल 3.9215हैक् में से 1/3 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।



जगाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु0प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि लादुराम वल्द जैसाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा लादुराम वल्द जैसाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा लादुराम वल्द जैसाराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,4 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 2 4 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 4 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 730/709 की कुल 9.2977हैक् में से 4/15 हिस्सा , व खाता संख्या 167/172 की कुल 2.7324हैक् एवं खाता संख्या 726/713 की कुल 3.9215हैक् में से 1/3 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाक्का दाखिल दफ्तर हो।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट.....

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022
पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. अनिल कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चुनीराम पुत्र लादुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
2. कृष्णलाल पुत्र चुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. गोरधन पुत्र कृष्णलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. राजवाला पुत्री कृष्णलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. शारदा पुत्री चुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. प्रमेश्वरी पुत्री चुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
7. सुमित्रा पुत्री चुनीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धानसिया तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 347 सन 2022 निर्णय दिनांक-23/05/2022

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान वर्ष - 2022 में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही गौजा धानसिया के खाता संख्या 730/709 की कुल 9.2977हैक में से 4/15 हिस्सा , व खाता संख्या 167/172 की कुल 2.7324हैक एवं खाता संख्या 726/713 की कुल 3.9215हैक में से 1/3 भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजाराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2022
कैम्प कोर्ट.....

उपखण्ड अधिकारी
नोहर